अध्याय-8
उत्तराखण्ड में योजना का प्रभाव

अध्याय - 8

उत्तराखण्ड में योजना का प्रभाव

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण पहल है जिसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण आबादी की आजीविका में सुधार करना है। ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रतिवर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर, इस योजना में ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर के उत्थान की क्षमता है। हालांकि, मनरेगा का पूरा लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इस योजना का प्रभावी और दक्षता पूर्ण क्रियान्वयन किया जाय तथा विद्यमान चुनौतियों का समाधान किया जाय।

लेखापरीक्षा परिणामों द्वारा प्रकाश में लाये गए प्रमुख निष्कर्ष

उत्तराखण्ड में, 2019-24 के दौरान मनरेगा के अधीन जल संरक्षण, जलागम वाटरशेड प्रबंधन, सिंचाई, वनीकरण, भूमि विकास, ग्रामीण सम्पर्क और आपदा तैयारी/बहाली आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों में 3.41 लाख परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया। 2019-24 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य में सृजित परिसंपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका-8.1** में दिया गया है:

तालिका-8.1: 2019-24 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य में सृजित परिसंपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कार्य की श्रेणी	पूर्ण किए गए कार्य
1	जल संरक्षण	27,225
2	वाटरशेड प्रबंधन	15,374
3	सिंचाई	46,161
4	पारंपरिक जल निकाय	10,013
5	वनरोपण	17,487
6	भूमि विकास	42,346
7	भूमि की उत्पादकता में सुधार	6,382
8	आजीविका सुधार से संबंधित कार्य	2,626
9	अनुपजाऊ/बंजर भूमि का विकास	1,857
10	आवास निर्माण	25,872
11	पशुधन संवर्द्धन	63,412
12	मत्स्य पालन संवर्द्धन	2,566
13	कृषि उत्पादकता	44
14	स्वयं सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों के लिए सामान्य कार्य-शेड	69
15	ग्रामीण स्वच्छता	16,355
16	सड़क संपर्क/आंतरिक सड़कें/गलियां	32,192
17	खेल के मैदान	186
18	आपदा तैयारी/पुनरोद्धार	29,661
19	भवन निर्माण	1,346
20	खाद्यान्न भंडारण संरचनाएं	194

क्र. सं.	कार्य की श्रेणी	पूर्ण किए गए कार्य
21	निर्माण हेतु सामग्री उत्पादन	49
22	अनुरक्षण	19
23	अन्य कार्य	171
कुल		***3,41,607***

सृजित सामुदायिक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त, इस योजना ने लाभार्थियों की आय में वृद्धि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के सृजन एवं लिंग आधारित मजदूरी असमानता को कम करने के साथ ग्रामीण महिलाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी मदद की।

8.1 सामाजिक सुरक्षा

मनरेगा योजना ने वार्षिक न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करके ग्रामीण परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आय के इस विश्वसनीय स्रोत ने जीवन स्तर में सुधार किया है, विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में जहां मैदानी जिलों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम है, जो आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में आजीविका का समर्थन करने में इसके महत्व को रेखांकित करता है।

सर्वेक्षण के दौरान 200 लाभार्थियों में से 193 लाभार्थियों (97 *प्रतिशत*) द्वारा आजीविका में सुधार होना बताया गया, जो ग्रामीण आजीविका को स्थिर करने और बढ़ाने में इसकी भूमिका पर जोर देता है।

8.2 मनरेगा एवं कोविड-19 महामारी

मनरेगा योजना ने कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण परिवारों को महत्वपूर्ण रोजगार और आर्थिक सहायता प्रदान की। सरकार द्वारा वित्तपोषण में वृद्धि की गयी और नियमों में छूट दी गयी, परिणामस्वरूप अधिक परिवारों को रोजगार मिला। कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में, उत्तराखण्ड सरकार ने 2020-21 में 100 दिनों का काम पूरा करने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार की अनुमति दी।

मनरेगा योजना का व्यय 2019-20 में ₹ 509.10 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 945.16 करोड़ हो गया। इस योजना के अंतर्गत रोजगार 5.04 करोड़ परिवारों से बढ़कर 6.54 करोड़ हो गया, जो महामारी के दौरान उच्च माँग को दर्शाता है। उत्तराखण्ड द्वारा 2020-21 में 303.60 लाख रोजगार दिवस का सृजन किया, जो कि पिछले वर्ष में 206.10 लाख था। इस प्रकार, मनरेगा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि, साथ ही रोजगार प्राप्त वाले परिवारों और सृजित रोजगार दिवसों की संख्या में वृद्धि, महामारी के दौरान ग्रामीण रोजगार माँगों को पूरा करने में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।

8.3 महिलाओं का सशक्तिकरण

मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी के लिए विशेष प्रावधान (श्रम रोजगार का कम से कम एक तिहाई महिलाओं को प्रदान किया जाना चाहिए) किया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, राज्य में महिलाओं के लिये समग्र ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर (श्र ब भा द) 32.4 *प्रतिशत* है, वहीं मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी दर 56 *प्रतिशत* से अधिक है।

यह उल्लेखनीय अंतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में योजना की भूमिका को रेखांकित करता है। यह योजना एक जैसे कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी प्रदान करती है, जिससे मजदूरी पक्षपात की घटनाओं को कम करने में मदद मिली है। पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के प्रावधान ने भी कार्यबल में उनकी भागीदारी में सुधार किया है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी के अवसरों के प्रावधान ने स्थानीय निकाय के ढाँचे में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार किया है और उन्हें अपने जनसमूह के विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है।

8.4 व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन

मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के सृजन का ग्रामीण परिवारों की आय और आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है।

चयनित ग्रा पं समुदाय के साथ-साथ व्यक्तिगत परिसम्पत्ति निर्माण पर केंद्रित थे। चयनित ग्रा पं द्वारा 2019-24 के दौरान बनाई गई 378 संपत्तियों में से, अधिकांश परिसंपत्तियाँ (91 परिसंपत्तियाँ) जैसे घर का निर्माण, भूमि विकास, *मुर्गीबाड़ा, पशुबाड़ा,* इत्यादि, निजी स्वामित्व की भूमि पर बनाई गई थीं, जैसा कि नीचे **तालिका-8.1** में दिया गया है:

तालिका-8.2: नमूना जाँच ग्रा पं द्वारा 2019-24 के दौरान सृजित परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	कार्य की श्रेणी	नमूना जाँच ग्रा पं में वर्ष 2019-24 के दौरान सृजित परिसंपत्तियों की संख्या
1.	आंगनवाड़ी/अन्य ग्रामीण बुनियादी ढाँचा	2
2.	सूखा रोधी प्रणाली	36
3.	बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण	13
4.	भूमि विकास	103
5.	सूक्ष्म सिंचाई कार्य	23
6.	पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरोद्धार	6
7.	ग्रामीण संपर्क	33
8.	ग्रामीण स्वच्छता	3
9.	जल संरक्षण और जल संचयन	68
10.	निजी स्वामित्व भूमि पर कार्य	91
योग		***378***

चयनित परिसंपत्तियों के भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि निजी स्वामित्व भूमि पर बनाई गई परिसंपत्तियाँ लाभार्थी के जीवन स्तर में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

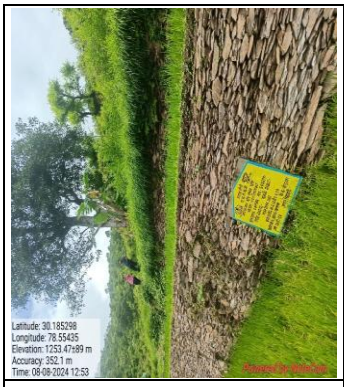		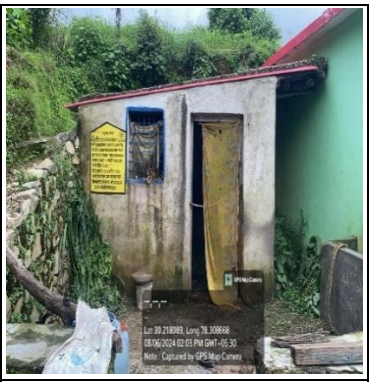
कार्य का नाम: ग्रा पं खनाना में भूमि सुधार (कार्य कोड: 3513007062/एल डी/2008165017)	*कार्य का नाम: ग्रा पं फर्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का निर्माण। जिसमें अकुशल श्रम का भुगतान मनरेगा के अंतर्गत किया गया था। (कार्य कोड: 3513007020/आई एफ/आई ए वाई/44618)*	*कार्य का नाम: ग्रा पं फर्त में पशुबाड़ा का निर्माण। (कार्य कोड: 513007020/एल डी/2008147527)*

8.5 सतत चुनौतियों पर नियंत्रण

लेखापरीक्षा ने मनरेगा के सुचारू कार्यान्वयन को बाधित करने वाले कई प्रमुख मुद्दों की पहचान की, जिनका इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए समाधान किया जाना आवश्यक है।

- **मज़दूरी भुगतान में विलम्ब:** मनरेगा की सफलता में सबसे महत्त्वपूर्ण बाधाओं में से एक श्रमिकों को मज़दूरी के भुगतान में देरी है। विलंबित भुगतान न केवल श्रमिकों के वित्तीय संकट का कारण बनता है, बल्कि प्रणाली में उनका विश्वास भी घटता है।
- **अपर्याप्त रोज़गार सृजन:** यद्यपि मनरेगा का लक्ष्य 100 दिनों का वार्षिक रोज़गार प्रदान करना है, परन्तु कई क्षेत्रों में वास्तविक रोज़गार सृजन कम है। यह अक्सर खराब योजना, कार्य में पर्याप्त अवसरों की कमी और परियोजना कार्यान्वयन में देरी के कारण होता है।
- **लाभार्थियों में जागरूकता की कमी:** कई ग्रामीण परिवार, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, मनरेगा के अंतर्गत अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। जागरूकता की कमी के कारण योजना का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है और पात्र लाभार्थी इससे वंचित रह जाते हैं।

मनरेगा की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए, इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता में सुधार करना और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और रोजगार के अवसरों की सीमा का विस्तार करना ग्रामीण आबादी को और सशक्त बना सकता है और उनके आर्थिक उत्थान को मजबूत कर सकता है।

8.6 अनुशंसाएँ

1. ***स्थानीय नियोजन को मजबूत करने, परियोजनाओं का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने एवं योजना के अंतर्गत गतिविधियों के दायरे को बढ़ाने से रोजगार सृजन के मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है।***
2. ***जनसम्पर्क प्रयास को बढ़ाने, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और सूचना के सुलभ माध्यमों से योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।***

देहरादून **(संजीव कुमार)**
दिनांक: 14 नवम्बर 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 20 नवम्बर 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**